(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

अधिसूचना सं. 64/2024–25
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025

विषयः आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के तहत उड़द ([एसपीपी विग्ना मुंगो (एल) हेप्पर की बीन्स]) [आइटीसी (एचएस) कोड 07133110] की ''मुक्त'' आयात नीति का विस्तार।

सा. आ. (अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा आयात नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती हैः

आइटीसी (एचएस) **कोड**	**मद** विवरण	**आयात नीति**	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
07133110	उड़द [एसपीपी विग्ना मुंगो (एल) हेप्पर की बीन्स]	मुक्त	31.03.2025 तक आयात 'मुक्त' है।	31.03.2026 तक आयात 'मुक्त' है।

अधिसूचना का प्रभावः उड़द की ''मुक्त'' आयात नीति दिनांक 31.03.2026 तक आगे बढ़ाई गई है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
10.3.2025

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

[फा. सं. एम–5012/300/2002/पीसी–2 (ए)/ई–1657 से जारी]